Impact Factor (QJIF): 8.38 E-ISSN: 2583-7206, P-ISSN: 3049-2432

International Journal of All Subject Research

Received: 19/January/2026 **IJASR:** 2026; 5(2):28-30 **Accepted:** 26/February/2026

अनुसूचित जनजाति महिला श्रमिकों के कार्यक्षेत्र में होने वाली समस्याओं का अध्ययन

***[1]डॉ. रोशन कुमार झारिया**

*[1]अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर, छत्तीसगढ, भारत।

सारांश

नगरों में श्रमिक बाजार में महिला श्रमिकों के हिस्से में आने वाले कार्यो में अधिकांश कार्य अकुशल श्रेणी के हैं। जिस कार्य में महिलाओं को परम्परागत रूप से एक शारीरिक श्रम करने वाले कार्मो के लिए उपर्युक्त माना जाता है यहीं मनोवृत्ति श्रमिक बाजार में महिला श्रमिकों के साथ भी देखने को मिलती है। लेकिन यह देखने में आया है कि जो कार्य बहुत ही मेहनत एवं शारीरिक श्रम के होते हैं। वह महिला ही करती हैं लेकिन यह उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है पर निर्माण कार्य में पत्थर डालने, मसाला तैयार करना, तगारी उठाना आदि कार्य जो कि हेल्पर के रूप में एक महिला श्रमिक को करने होते हैं। निर्माण कार्य के अलावा शहर में कुछ महिलाओं को अन्य काम जैसे – सब्जी बेचना, घरेलू नौकरानी के रूप में काम करना, साफ सफाई का काम, ईट भट्टों पर, फेक्ट्रीयों में, धागा मिल तथा शादी–पार्टी में रसोईयों का काम करती हैं, परंतु कार्यस्थल पर किए जाने वाले कार्यो की प्रकृति आरै उनकी मजदूरी दर में भी महिला व पुरूष श्रमिकों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता हैं। नगरों में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं को काम नहीं मिलना, मजदूरी का पुरा भुगतान न होना, महिला होने के प्रति समुदाय की संकीर्ण सोच, ठेकेदार एवं साथी कामगार के द्वारा अभ्रद व्यवहार करना, यौन शोषण, छेड़छाड़ आदि समस्याओं का सामना करना पडता हैं।

मुख्य शब्दः अनुसूचित जनजाति, महिला श्रमिक, कार्यक्षेत्र, समस्या।

प्रस्तावना

किसी भी देश व समाज की जीवन शैली उस देश व समाज की परिस्थिति के अनुकूल प्रभावित होता रहा है यही कारण है कि महिलाओं की प्रस्थिति में भी समय–समय में परिवर्तन होता आया है। प्राचीनकाल में महिलाओं को पूजा जाता था एवं इन्हे देवी का रूप माना जाता था वही मध्य काल में कमजोर तथा चार दिवारी में कैद रखा गया कभी महिलाओं को प्रत्येक कार्य में अनिवार्य समझा गया कभी उनके समान्य अधिकारों से वंचित किया गया। आधुनिक भारत में महिलाएँ पुरूषो से कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं व परिवार के भरण पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत में पुरूषों की तुलना में महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है परिणामस्वरूप श्रम कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पहले महिलाओं कों कृषि से सबंधी कार्य में ही उपयुक्त माना जाता था परंतु कृषि के साथ–साथ महिलाओं ने अन्य क्षेत्र में अपनी सहभागिता दी है जिसमें श्रम बजार में महिला श्रमिकों की भूमिका को महत्व दिया जा रहा है।

जनजाति समुदाय की अपनी अलग विशेषताएँ होती हैं जो इन्हें अन्य वर्गो से विभाजित करती है जैसे– भौगोलिक परिस्थितियां, समान भाषा, विशेष संस्कृति आदि। जनजाति मानव विज्ञान का शब्द नहीं है बल्कि आम बोल–चाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है।

विधिक प्रावधान

श्रमिक महिलाओं के लिए सविंधान द्वारा निधार्रित किये गये अंधिकारों की रक्षा के लिए समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया गया है –

- कारखाना अधिनियम, 1948।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

***Corresponding Author:** डॉ. रोशन कुमार झारिया

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948।
- खान अधिनियम, 1952।
- अनेतिक व्यापार अधिनियम, 1956।
- प्रसुति प्रसुविधा अधिनियम, 1961।
- बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986।
- भवन व अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996।
- असंगागित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।

साहित्य समीक्षा

मूर्ति, वी.एम., सन् 1945 में *''प्राब्लम्स एंड वेलफेयर ऑफ अवर वूमेन वर्कर्स''* ने लिखा है कि महिलाओं के वैतनिक और लाभ पूर्ण काम–धंधों में बढ़ते प्रवेश से श्रम विभाजन की प्रचलित धारणा छिन्न हो गई है। आपके अध्यय के अनुसार पुरूष का काम बाहरी कार्यो से आय प्राप्त करना तथा महिलाओं को ग्रहकार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। [1]

लारेन्स, जास्मिन, सन् 2010 में *''महिला श्रमिक, सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ''* ने ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की सामाजिक समस्या से संबंधित महिला श्रमिकों की परिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जीवन स्तर एवं महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला है। [2]

तोमर, शुभसिंह एवं साह, डी.सी, सन 2012 में *"आदिवासी समाज में पूँजीयों तक पहुंच एवं जीविकोपार्जन संघर्ष"* ने कहा कि जनजाति परम्परागत जीविकोपार्जन के साधनों से विमुख होकर जीविकोपार्जन के लिए उन क्षेत्रों में मौसमी प्रवास कर रहे हैं, जहां उन्हें कुछ माह के लिए रोजगार उपलब्ध हो जाता है और वे पुनः कार्य की समाप्ति पर, अपने मूल स्थान की तरफ लौट आते हैं जिससे आदिवासी समाज में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष निरंतर चलता रहता है। [3]

चौधरी, संगीता सन 2013 में *"मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय महिलाओं कें उत्थान हेतु कियें किये जा रहे प्रयास एवं परिलक्षित परिवर्तन"* में बताया कि जनजातीयों को शिक्षा ने सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है जैसे खान–पान, पहनावा और आवास का स्तर बदला है एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। सरकार ने बैंकों के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूहों को बढ़ावा दिया, जिससे दूरस्थ वनांचलों में बसने वाले दलित और आदिवासियों तक लाभ पहुँचा है आज आदिवासी महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, साथ ही पंचायती राज व्यवस्था में इन्हें सुनहरा अवसर मिला है। [4]

अध्ययन के उद्देश्य

नगरीय क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित जनजाति महिला श्रमिकों को कार्यक्षेत्र होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध सामाजिक अनुसंधान विधियों का प्रयोग करते हुए मात्रात्मक एवं गुणात्मक शोध कार्य का मिश्रित रूप है जिसमें निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया है।

विश्लेषण

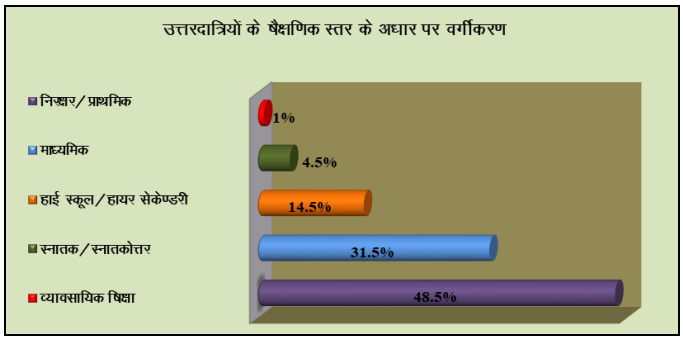

आरेख क्रमांक 1

अतः उपरोक्त आरेख के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के महिला श्रमिक निरक्षर या मात्र प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित हैं।

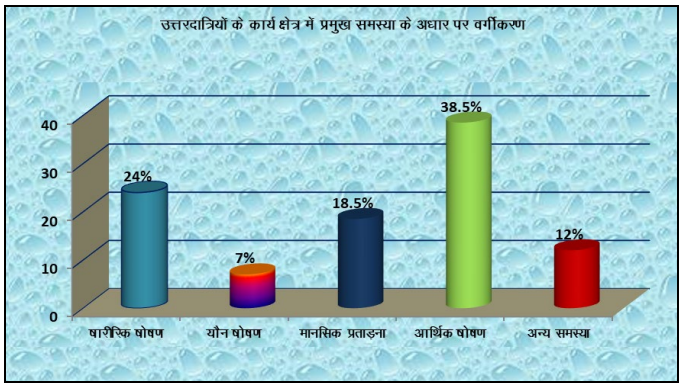

आरेख क्रमांक 2

अतः उपरोक्त आरेख के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अनुसूचित जनजाति की महिला श्रमिकों को कार्य क्षेत्र में आर्थिक शोषण जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है।

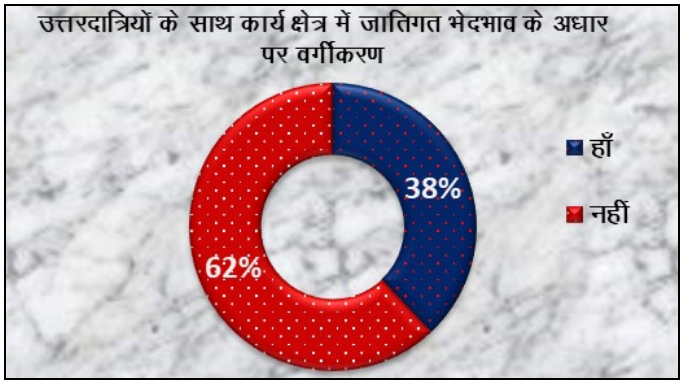

आरेख क्रमांक 3

अतः उपरोक्त आरेख के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदात्रियों के साथ उनके कार्य क्षेत्र में जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अनुसूचित जनजाति के महिला श्रमिकों के कार्यक्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है एवं उत्तरदात्रियों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश जनजाति महिला श्रमिक निरक्षर है या मात्र प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित हैं, चयनित श्रमिकों में से सर्वाधिक महिला श्रमिक भवन निर्माण कार्य में संलग्न है, अधिकतर नगरीय क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के महिला श्रमिकों कों कुछ–कुछ कार्य पुरूषों के समान ही करने पड़ते हैं परंतु उन्हे समान कार्य के लिए समान मजदूरी दर नहीं दी जाती है, चयनित उत्तरदात्रियों के कार्य क्षेत्र की प्रमुख समस्या उनका आर्थिक शोषण है, अधिकांश महिला श्रमिकों ने बताया की उन्हे नियमित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है एवं सर्वाधिक जनजाति महिला श्रमिकों के साथ कार्य क्षेत्र में जातिगत भेदभाव किया जाता है।

सुझाव

- अनुसूचित जनजाति के महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है इनके शैक्षणिक विकास हेतु प्रौढ़ शिक्षा, ओपन स्कूल एवं शाला त्यागी बच्चों के लिए परामर्श सेवा केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए।
- श्रमिकों को नियमित मजदूरी के लिए कठोर कनूनी प्रवधान करना चाहिए एवं समान कार्य समान मजदूरी की व्यवस्था करनी चाहिए।
- महिला श्रमिकों के साथ अत्याचार व उनका शोषण करने वालो के विरूद्ध कठोर दंडात्मक नीति बनानी चाहिए।
- जनजाति महिला श्रमिकों के कार्य स्थल पर अगर जातिगत भेदभाव होता है तो इसके लिए संविधानिक प्रवधानों के तहत कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।
- जहाँ पर निमार्ण कार्य चल रहा है या श्रमिकों के अवासीय क्षेत्र में श्रम संबंधी नियमों, योजनाओं एवं कनूनी प्रावधानों के पोस्टर चस्पा किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. मूर्ति, वी.एम. (1945) ''प्राब्लम्स एंड वेलफेयर ऑफ ऑवर वूमेन वर्कर्स, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क।
2. लारेन्स, जास्मिन (2010) ''महिला श्रमिको की सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ'' आदित्य पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
3. तोमर, शुभसिंह एवं साह, डी.सी. (2012) में "आदिवासी समाज में पूँजीयों तक पहुंच एवं जीविकोर्पाजन संघर्ष" सामाजिक विज्ञान पत्रिका डॉ. अम्बेडकर नगर महू, इंदौर।
4. चौधरी, संगीता (2013) में "मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय महिलाओं कें उत्थान हेतु कियें किये जा रहे प्रयास एवं परिलक्षित परिवर्तन" बुलिटिन पत्रिका, टी.आर.आई., भोपाल।